

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान
बनाम

सोमा वगैरह

रूपा फौत

रमेश चन्द्र पिता रूपा वगैरह

वादा बाबत-धारा 53-188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर :-222/2007

निर्णय दिनांक :-15.06.2015

वादी की ओर से श्री रमेश चन्द्र वगैरह की व प्रतिवादी की ओर से श्री सोमा वगैरह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2015 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष प्रतिनिध निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा सोमावत की जमाबंदी संवत 2060 से 2063 के खाता नं. 488 तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं. 538 के कुल कित्ता 39 रकबा 5.48 हेक्टर कृषि भूमि में खातेदार (वादी) रूपा उर्फ चेतनगिरी पिता नगजी की मृत्यु होने से उसके वारिस श्री रमेशचन्द्र पिता रूपा व श्रीमती हीरकी पत्नी रूपा के कब्जे व खाते आराजी नम्बर 2330/0.04 - 5867/1.30 में से 0.65 हे. 5878/0.08 - 5892/0.06 - 5893/0.31 - 5894/0.30 - 5895/0.11 - 5896/0.03 - 5897/0.09 - 5898/0.12 - 5899/0.02 - 5920/0.47 - 5922/0.11 - 5934/0.15 - 5935/0.07 - 6186/0.23 में से 0.12 हे. कुल कित्ता 16 रकबा 2.73 हेक्टेयर दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी नं. 1,2,3 व 4 श्री सोमा, हाजा, सींगा, काला उर्फ काना के कब्जे व खाते आराजी नं. 2540/0.11 - 5823/0.04 - 5824/0.07 - 5825/0.07 - 5834/0.05 - 5835/0.10 - 5836/0.04 - 5837/0.04 - 5839/0.16 - 5855/0.19 - 5856/0.01 - 5867/1.30 में से 0.65 हे., आराजी नं. 5889/0.08 - 5901/0.06 - 5905/0.17 - 5906/0.16 - 5923/0.07 - 5951/0.11 - 5952/0.02 - 5955/0.08 - 5956/0.03 - 5957/0.05 - 5962/0.04 - 6186/0.23 में से 0.11 हे., 6215/0.24 कुल कित्ता 25 रकबा 2.75 हेक्टेयर दर्ज की जावे। इस खाते की भूमि में प्रतिवादी श्री सोमा व सिंगा की हिस्सा भूमि पर SBBJ शाखा खैरवाडा का रहन दर्ज है, अतः प्रतिवादी सं. 1,2,3 व 4 के नाम उक्तानुसार अलग कायम किये जाने वाले खाते में श्री सोमा व सींगा की हिस्सा भूमि पर SBBJ शाखा खैरवाडा का रहन यथावत रहेगा। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2060-63 के खाता नं. 489 तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं. 539 के कुल कित्ता 8 रकबा 1.01 हे. में से आराजी नं. 6195/0.21 में से 0.07 - 6206/0.01 - 6208/0.06 - 6209/0.40 में से 0.05 हे., 6211/0.09 - 6212/0.06 कुल कित्ता 6 रकबा 0.34 हेक्टेयर कृषि भूमि रूपा के फौत हो जाने के बाद उसके वारिस श्री रमेश चन्द्र पिता रूपा व श्रीमती हीरकी पत्नी स्व. रूपा के खाते की जावे तथा आराजी नं. 6195/0.21 में से 0.07 हे., 6209/0.40 में से 0.15 हे., 6214/0.11 कुल कित्ता 3 रकबा 0.33 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी श्री सोमा, हाजा, सींगा, काला उर्फ काना पिता जगन्नाथ मीणा के नाम तथा आराजी नं. 6195/0.21 में से 0.07 हे., 6209/0.40 में से 0.20 हे., 6213/0.07 कुल कित्ता 3 रकबा 0.34 हेक्टेयर कृषि भूमि श्री रूपा - नाना पिता काला मीणा के नाम दर्ज की जावे तथा तदनुसार खाते अलग-अलग किये जावें। साथ ही मौजा सोमावत की जमाबंदी संवत 2060-2063 के खाता संख्या 490 तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं. 540 की आराजी नं. 5833/0.14 हे. भूमि का मौके पर शस्ते के रूप में उपयोग-उपभोग वादी एवं प्रतिवादीगण तथा आमजन द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, जिसका बंटवारा नही करने के लिए दोनो पक्ष सहमत है, इसलिए इस आराजी नं. 5833 को जमाबंदी में यथावत रखा जावे। तहसीलदार ऋषभदेव तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना सुनिश्चित करेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी

प्रतिवादी